प्रेस नोट 01- दिनांक 31.03.2024
थाना आसीवन,जनपद उन्नाव ।

अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 31.03.2024 को उ0नि0 अखिलेश मिश्रा मय महराह फोर्स द्वारा एक अभियुक्त कमल वर्मा पुत्र रज्जनलाल नि0ग्राम उदशाह थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गहरू पुलिया थाना आसीवन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना आसीवन पर मु0अ0सं0 63/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कमल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को मान0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. कमल वर्मा पुत्र रज्जनलाल नि0ग्राम उदशाह थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी- एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अखिलेश मिश्रा
2. हे0का0 उमेश सैनी
3. कां0 रवीन्द्र कुमार
4. कां0 रवि राजभर
5. कां0 अमित सरोज

प्रेस नोट 02- दिनांक 31.03.2024
थाना बेहटा मुजावर-जनपद उन्नाव।

दुष्कर्म के दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार तथा एक आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दणिक्षी एवं क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व एक आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.03.2024 को थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव पर मु0अ0सं0 82/2024 धारा 354/506 भादवि व 3(1)द,ध एस0सी/एस0टी0 एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376डी भादवि व 3(2)5 एस0सी/एस0टी0 एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा 3(1)द,ध एस0सी/एस0टी0 एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट का विलोपन किया गया। आज दिंनाक 31.03.2024 को उ0नि0 रामपदारथ पाण्डेय मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. मोहित कुमार पुत्र कमलेश चन्द्र पटेल निवासी ग्राम महोलिया थाना बेहटा मुजावर 2. संजय पुत्र सुभाष पटेल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम महोलिया थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया व एक आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया।

गिरफ्तार/पुलिस संरक्षण में अभियुक्तगण-

1.मोहित कुमार पुत्र कमलेश चन्द्र पटेल उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम महोलिया
2.संजय पुत्र सुभाष पटेल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम महोलिया
3. बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 रामपदारथ पाण्डेय
2.हे0का0 जितेन्द्र गौतम
3. हे0का0 गोविन्द सिंह

UNNAO POLICE

प्रेस नोट 03- दिनांक 31.03.2024
थाना गंगाघाट-जनपद उन्नाव ।

दो वांछित लुटेरे गिरफ्तार, लूट का माल व घटना में प्रयुक्त एक छुरी व ई-रिक्शा बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दो वांछित लुटेरों को लूटे गये माल व घटना में प्रयुक्त छूरी व ई-रिक्शा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 30.03.2024 को प्रार्थी श्री संतोष कुमार पुत्र रामनरेश ग्राम गौहानी कला थाना राजापुर जनपद चित्रकुट नें थाना उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी कल दिनांक 29/03/2024 को प्रार्थी अपने घर से वाया ट्रेन रात 11.55 बजे कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन आया जहां से प्रार्थी अपने बुआ के लडके हनुमान के पास पनकी जाना चाहता था लेकिन आधी रात होने के कारण स्टेशन पर चार घण्टे आराम करने के बाद बाहर निकल कर पनकी जाने के लिए एक ई-रिक्सा चालक से बात किया। जिसने 100 रुपये में प्रार्थी को पनकी पहुचाने की बात की फिर 70 रुपये में मान गया और 70 रुपये ले लिया और मुझे रिक्सा पर बैठाकर काफी देर तक कानपुर में ही घुमाता रहा फिर गंगा पार करके शुक्लागंज लाया जहां पर उसने फोन करके एक अन्य व्यक्ति को बुलाया जिसके आने पर ई-रिक्सा चालक ने पापा कह के उसके पैर छुए उसके बाद दोनो मुझे मरहला चौराहा सरैया क्रासिंग होते हुए ट्रान्सगंगासिटी गेट नं0- 1 के आगे ले गये जहां दोनों ने मेरा पर्स जिसमें करीब 2500 रुपये, आधार कार्ड, चेक बुक (आईडीबीआई),H.D.F.C बैंक का ATM कार्ड था ले लिया। मारपीट करने के बाद उक्त दोनो व्यक्ति E-रिक्सा लेकर शुक्लागंज की तरफ वापस चले गये। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 160/2024 धारा 394 भादवि बनाम रिक्शा नम्बर UP78GN6078 का चालक नाम अज्ञात व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में उ0नि0 राजीव कुमार मय हमराही पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 31.03.2024 को वांछित अभियुक्तगण 1. विशाल गुप्ता s/o राकेश गुप्ता निवासी वर्तमान पता-ग्राम रमाईन थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 22 वर्ष 2. सुनील गुप्ता पुत्र शम्भू दयाल गुप्ता निवासी 75/59ए, चक न 27 रोटी गोदाम कानपुर नगर मूल पता ग्राम रमाईन थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 37 वर्ष को घटना में प्रयुक्त एक अदद छुरी, लूटे गये माल (आर्टीफीसियल चैन पीली धातु,एक पर्स,एक आधार कार्ड,एक डेविट कार्ड (HDFC बैंक) व डेविट कार्ड से सम्बन्धित कागज,एक टिफिन,IDBI की चेक बुक,पुराने इस्तेमाली कपडे,2000/- रुपये नगद) घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा नम्बर

UP 78 GN 6078 व एक अदद बैग बरामद कर पोनी तिराहा राजधानी मार्ग से गिरफ्तार किया गया। माल व घटना में प्रयुक्त छुरी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विशाल गुप्ता s/o राकेश गुप्ता निवासी वर्तमान पता-ग्राम रमाईन थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 22 वर्ष
2. सुनील गुप्ता पुत्र शम्भू दयाल गुप्ता निवासी 75/59ए, चक न 27 रोटी गोदाम कानपुर नगर मूल पता ग्राम रमाईन थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 37 वर्ष

बरामदगी-

1.घटना में प्रयुक्त एक अदद छुरी
2.आर्टीफीसियल चैन पीली धातु
3.एक पर्स
4.एक आधार कार्ड
5.एक डेविट कार्ड (HDFC बैंक) व डेविट कार्ड से सम्बन्धित कागज
6.एक टिफिन
7.IDBI की चेक बुक
8.पुराने इस्तेमाली कपडे
9.कब्जे से 2000/- रुपये नगद
10.घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा नम्बर UP 78 GN 6078
11.एक अदद बैग

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त विशाल गुप्ता उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 104/2022 धारा 379/411 भादवि थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 154/2023 धारा 379/411 भादवि थाना फफूंद जनपद औरैया
3. मु0अ0सं0 228/2023 धारा 379/411 भादवि थाना अजीतमल जनपद औरैया

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 राजीव कुमार
2. हे0का0 पातीराम मौर्या
3. का0 आदित्य कुमार
4. का0 शोभित यादव